रजिस्टर्ड नं० एल० १८१

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

लखनऊ, रविवार, 22 अगस्त, 1971
श्रावण 31, 1893 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायिका विभाग

संख्या 3732 /सत्रह–100–71 ।
लखनऊ, 22 अगस्त, 1971

विज्ञप्ति

विविध

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) विधेयक, 1971 पर दिनांक 22 अगस्त, 1971 ई० को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, 1971 के रूप में सर्वसाधारण के सूचनार्थ इस विज्ञप्ति द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 1971)

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए और उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 में अग्रेतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बाईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

अध्याय I

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम

1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, 1971 कहलाएगा ।

अध्याय 2

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1950 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, 1951 ई० की धारा 1 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 1 की उपधारा (2) में उसके वर्तमान प्रतिबन्धात्मक खण्ड के पश्चात् निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

"अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि कोई क्षेत्र जो 7 जुलाई, 1949 को किसी म्युनिसिपलिटी, नोटिफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत था, उक्त दिनांक के पश्चात् किसी भी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय और उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 8 के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो

(1) ऐसी दशा में जब वह 29 जून, 1971 के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में 29 जून, 1971 से होगा, और

(2) किसी अन्य दशा में, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस दिनांक से होगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय।"

नई धारा 122—ग और 123 का बढ़ाया जाना।

3—मूल अधिनियम की धारा 122-ख के पश्चात् निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जायं, अर्थात्—

अनुसूचित जातियों के सदस्यों, खेतिहर मजदूरों आदि के लिए आबादी के स्थलों के निमित्त भूमि का प्रदेशन।

"122-ग—(1) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर, स्वतः अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के संकल्प पर निम्नलिखित वर्गों की भूमि में से किसी वर्ग की भूमि को अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों और खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पकारों के निमित्त आबादी के स्थलों की व्यवस्था करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकता है :—

(क) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (1) में अभिदिष्ट और उक्त धारा के अधीन गांव सभा में निहित भूमि ;

(ख) धारा 194 के अधीन अथवा इस अधिनियम के किसी अन्य उपबन्धों के अधीन भूमि प्रबन्धक समिति के कब्जे में आने वाली भूमि ;

(ग) कोई अन्य भूमि जो धारा 13, धारा 14, धारा 163, धारा 186 या धारा 211 के अधीन खाली समझी जाय अथवा खाली हो जाय ;

(घ) यदि उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थल के रूप में आरक्षित भूमि उसके द्वारा अपर्याप्त समझी जाय, और उक्त अधिनियम के अधीन अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए विनिर्दिष्ट भूमि उपलब्ध हो, तो इस प्रकार उपलब्ध भूमि का कोई भाग।

(2) इस अधिनियम की धारा 122-क, 195, 196, 197 और 198, या यूनाइटेड प्राविंसेज पंचायत राज ऐक्ट, 1947 की धारा 4, 15, 16, 28-बी और 34 में किसी बात के होते हुए भी, भूमि प्रबन्धक समिति परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से, उपधारा (3) में अभिदिष्ट व्यक्तियों के निमित्त गृहों के निर्माणार्थ,—

(क) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट कोई भूमि;

(ख) उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी अधिनियम, 1953 के उपबन्धों के अधीन आबादी के विस्तार के लिए विनिर्दिष्ट और हरिजनों के लिए आबादी के स्थलों के रूप में आरक्षित कोई भूमि ;

(ग) धारा 117 की उपधारा (1) के खण्ड (6) में अभिदिष्ट और गांव सभा में निहित कोई आबादी का स्थल ;

(घ) उक्त प्रयोजनों के लिए भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 के अन्तर्गत अर्जित की गई भूमि ;

प्रदिष्ट कर सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन प्रदेशन किये जाने में निम्नलिखित अधिमान-क्रम का अनुपालन किया जायगा:—

(1) कोई खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो और अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो;

(2) कोई अन्य खेतिहर मजदूर या ग्रामीण शिल्पकार जो ग्राम में रहता हो;

(3) कोई अन्य व्यक्ति जो ग्राम में रहता हो और जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिम जाति का हो।

स्पष्टीकरण--(1) पद "खेतिहर मजदूर" का वही अर्थ होगा जो धारा 198 में है।

(2) पद "ग्रामीण शिल्पकार" में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, रजतकार, स्वर्णकार, नाई, धोबी या मोची शामिल हैं।

(3) उस व्यक्ति को अधिमान्यता दी जायगी जिसके पास या तो कोई गृह न हो अथवा उसके परिवार की आवश्यकताओं को देखते हुए आवास-व्यवस्था अपर्याप्त हो।

(4) यदि परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर का यह समाधान हो जाय कि भूमि प्रबन्धक समिति ने उपधारा (2) के अधीन अपने कर्तव्यों का पालन या अपने कृत्यों का निर्वहन नहीं किया है, अथवा ऐसा करना अन्यथा आवश्यक या इष्टकर है, तो वह स्वयं ऐसी भूमि को उपधारा (3) के उपबन्धों के अनुसार प्रदिष्ट कर सकता है।

(5) इस धारा के अधीन प्रदिष्ट कोई भूमि प्रदेशन गृहीता द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत की जायेगी।

(6) कलेक्टर स्वतः इस धारा के अधीन भूमि के किसी प्रदेशन के संबंध में नियत रीति से जांच कर सकता है और प्रदेशन से क्षुब्ध किसी व्यक्ति के प्रार्थना-पत्र पर नियत रीति से जांच करेगा, और यदि उसका यह समाधान हो जाय कि प्रदेशन अनियमित है, तो वह प्रदेशन को निरस्त कर सकता है, और तत्पश्चात् प्रदिष्ट की गई भूमि में प्रदशन गृहीता और उसके माध्यम से दावा करने वाले प्रत्येक अन्य व्यक्ति के अधिकार, आगम और स्वत्व समाप्त हो जायेंगे।

(7) उपधारा (4) के अधीन असिस्टेंट कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश, उपधारा (6) के उपबन्धों के अधीन रहते हुए और उपधारा (6) के अधीन कलेक्टर द्वारा दिया गया प्रत्येक आदेश अंतिम होगा और धारा 333 के उपबन्ध उसके संबंध में लागू नहीं होंगे।

(8) परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर स्वतः या उसे तदर्थ कोई प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर, उपधारा (2), उपधारा (4) या उपधारा (6) के अधीन भूमि के किसी प्रदेशन अथवा दिए गए अन्य आदेश को कार्यान्वित करने के लिए ऐसी भूमि पर कब्जा रखने या बनाए रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को बेदखल करने के पश्चात् उस भूमि का कब्जा प्रदेशन गृहीता या गांव सभा को देने का निदेश दे सकता है, और इस प्रयोजन के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है अथवा करा सकता है, जो आवश्यक हो।

कतिपय गृह के स्थलों का बन्दोबस्त उसके विद्यमान स्वामियों के साथ किया जायगा।

123--धारा 9 के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि धारा 122-ग की उपधारा (3) में अभिदिष्ट किसी व्यक्ति ने उक्त धारा की उपधारा (2) में उल्लिखित भूमि पर, जो किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आरक्षित भूमि न हो, कोई गृह निर्माण किया हो, और ऐसा गृह 24 मई, 1971 को विद्यमान हो तो ऐसे गृह का स्थल गृह के स्वामी द्वारा ऐसे प्रतिबन्धों और शर्तों पर, जो नियत किए जाएं, धृत किया जायगा।"

धारा 128 का संशोधन

4--मूल अधिनियम की धारा 128 में, उपधारा (2) में खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिए जाएं, अर्थात्--

"(ङ) धारा 122-ग के अधीन भूमि प्रदिष्ट करने की प्रक्रिया;

(च) वे प्रतिबन्ध तथा शर्तें जिन पर धारा 122-ग के अधीन प्रदिष्ट भूमि या धारा 123 में अभिदिष्ट भूमि धृत की जायेगी;"

अध्याय 3

उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 का संशोधन

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1957 की धारा 1 का संशोधन

5--उत्तर प्रदेश नागर-क्षेत्र जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, 1956 की धारा 1 की उपधारा (2) में उसका निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड अन्त में बढ़ा दिया जाय, अर्थात्--

"प्रतिबन्ध यह है कि यदि खण्ड (ख) में अभिदिष्ट कोई क्षेत्र 7 जुलाई, 1949 के पश्चात्, यथास्थिति, किसी म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया, कैन्टूनमेन्ट या टाउन एरिया के अन्तर्गत न रह जाय और धारा 8 के अधीन उसके संबंध में कोई विज्ञप्ति जारी न की गई हो, तो इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में--

(1) उस दशा में जब वह 29 जून, 1971 के पूर्व किसी समय इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह गया हो, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में 29 जून, 1971 को समाप्त हो जायगा; और

(2) किसी अन्य दशा में, इस अधिनियम का प्रसार ऐसे क्षेत्र में उस दिनांक को समाप्त हो जायगा जब वह क्षेत्र इस प्रकार उसके अन्तर्गत न रह जाय।"

अध्याय 4

निरसन

उत्तर प्रदेश, अध्यादेश संख्या 8, 1971 तथा उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 11, 1971 का निरसन

6--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, 1971 और उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1971 एतद्द्वारा निरस्त किए जाते हैं।

No. 3732/XVII—100-71

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Bhoomi-Vidhi (Sanshodhan) Adhiniyam, 1971 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 21 of 1971) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on August 22 1971.

UTTAR PRADESH LAND LAWS (AMENDMENT) ACT, 1971

(U. P. Act No. 21 of 1971)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950 and the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956.

It is hereby enacted in the Twenty-Second Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER I

PRELIMINARY

Short title

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment) Act, 1971.

CHAPTER II

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH ZAMINDARI ABOLITION AND LAND REFORMS ACT, 1950

Amendment of section 1 of U. P. Act No. 1 of 1951.

2. In section 1 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1950, hereinafter in this Chapter referred to as the principal Act, in sub-section (2) *after* the existing proviso thereto, the following proviso shall be *inserted*, namely:

"Provided further that where any area which on July 7, 1949, was included in a municipality, notified area, cantonment or town area ceased to be so included therein at any time after that date and no notification has been made in respect thereof under section 8 of the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolition and Land Reforms Act, 1956,

(i) in case it has ceased to be so included at any time before June 29, 1971, this Act shall extend to such area from June 29, 1971, and

(ii) in any other case, this Act shall extend to such area from the date on which the area ceases to be so included;"

Insertion of new sections 122-C and 126.

3. After section 122-B of the principal Act, the following sections shall be inserted, namely :

Allotment of land for housing sites for members of Scheduled Castes, agricultural labourers etc.

"122-C. (1) The Assistant Collector In-charge of the sub-division, of his own motion or on the resolution of the Land Management Committee, may ear-mark any of the following classes of land for the provision of *abadi* sites for the members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and agricultural labourers and village artisans—

(*a*) lands referred to in clause (i) of sub-section (i) of section 117 and vested in the Gaon Sabha under that section ;

(*b*) lands coming into possession of the Land Management Committee under section 194 or under any other provision of this Act ;

(*c*) any other land which is deemed to be or becomes vacant under section 13, section 14, section 163, section 186 or section 211 ;

(*d*) where the land ear-marked for the extension of *abadi* and reserved as *abadi* site for Harijans under the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953, is considered by him to be insufficient, and land ear-marked for other public purposes under that Act is available, then any part of the land so available.

(2) Notwithstanding anything in sections 122-A, 195, 196, 197 and 198 of this Act, or in sections 4, 15, 16, 28-B and 34 of the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Land Management Committee may with the previous approval of the Assistant Collector In-charge of the sub-division, allot, for purposes of building of houses, to persons referred to in sub-section (3)—

(*a*) any land ear-marked under sub-section (1) ;

(*b*) any land ear-marked for the extension of *abadi* sites for Harijans under the provisions of the U. P. Consolidation of Holdings Act, 1953 ;

(*c*) any *abadi* site referred to in clause (vi) of section (i) of section 117 and vested in the Gaon Sabha;

(*d*) any land acquired for the said purposes under the Land Acquisition Act, 1894.

(3) The following order of preference shall be observed in making allotments under sub-section (2)—

(i) an agricultural labourer or village artisan residing in the village and belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe ;

(ii) any other agricultural labourer or village artisan residing in the village ;

(iii) any other person residing in the village and belonging to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe.

Explanation—I. The expression "agricultural labourer" shall have the same meaning as in section 198.

II. The expression "village artisan" includes a carpenter, potter, iron-smith, silver-smith, gold-smith, barber, washerman or cobbler.

III. Preference shall be given to a person who either holds no house or has insufficient housing accommodation considering the requirements of his family.

(4) If the Assistant Collector In-charge of sub-division is satisfied that the Land Management Committee has failed to discharge its duties or to perform its functions under sub-section (2) or it is otherwise necessary or expedient so to do, he may himself allot such land in accordance with the provisions of sub-section (3).

(5) Any land allotted under this section shall be held by the allottee on such terms and conditions as may be prescribed.

(6) The Collector may of his own motion and shall on the application of any person aggrieved by an allotment of land under this section inquire in the manner prescribed into such allotment, and if he is satisfied that the allotment is irregular he may cancel the allotment, and thereupon the right, title and interest of the allottee and of every other person claiming through him in the land allotted shall cease.

(7) Every order passed by the Assistant Collector under sub-section shall, subject to the provisions of sub-section (6), and every order passed by Collector under sub-section (6) shall be final, and the provisions of section shall not apply in relation thereto.

(8) The Assistant Collector In-charge of the sub-division, of his own motio or on any application made to him in that behalf, may in order to carry in effect any allotment of land or other order made under sub-section (2), sub-sect (4) or sub-section (6) direct delivery of possession of any such land to an allot or to the Gaon Sabha after ejectment of every person holding or retaining poss sion thereof, and may for that purpose use or cause to be used such force as m be necessary.

Certain house sites to be settled with existing owners thereof.

123. Without prejudice to the provisions of section 9, where any perso referred to in sub-section (3) of section 122 has built a house on any land referred to sub-section (2) of that section, not being la reserved for any public purpose, and such hou exists on the twenty-fourth day of May, 1971, the site of such house shall be le by the owner of the house on terms and conditions as may be prescribed."

Amendment of section 128.

4. In section 128 of the principal Act, in sub-section (2) *after* clause (d the following clauses shall be *inserted*, namely :—

"(*e*) the procedure for allotment of land under section 122-C

(*ee*) the terms and conditions on which land allotted under sectio 122-C or land referred to in section 123 shall be held ,".

CHAPTER III

AMENDMENT OF THE UTTAR PRADESH URBAN AREAS ZAMINDARI ABOLITI AND LAND REFORMS ACT, 1956

Amendment of section 1 of U. P. Act no. IX of 1957.

5. In section 1 of the Uttar Pradesh Urban Areas Zamindari Abolitio and Land Reforms Act, 1956, in sub-section (2), the following proviso there shall be *inserted* at the end, namely :

"Provided that where any area referred to in clause (*b*) ceases *after* t 7th day of July, 1949, to be included in a municipality, notified area, cantonment or town area, as the case may be, and no notification has been iss in respect thereof under section 8,

(i) in case it has ceased to be so included at any time befo June 29, 1971,—this Act shall cease to extend to such area fro June 29, 1971, and

(ii) in any other case, this Act shall cease to extend to such a from the date on which the area ceases to be so included."

CHAPTER IV

REPEAL

Repeal of Uttar Pradesh Ordinance no. 8 of 1971 and Uttar Pradesh Ordinance no. 11 of 1971.

6. The Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms (Amendment) Ordinance, 1971 and the Uttar Pradesh Land Laws (Amendment Ordinance, 1971, are hereby repealed.

आज्ञा से,

प्रेम प्रकाश

सचिव ।

बी० एस० यू० पी०—ए० पी०—120 गजट (हि०)—1971—1960 +30 (से०)।